GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board/रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/ 332
No. PC-V/2014/A/TA/1

RBE No. 28 /2014
New Delhi, dated 19.03.2014

The General Managers/CAOs(R)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:- Grant of Transport Allowance to Railway Employees–Extension of benefit of Transport Allowance at double the Normal Rates to Deaf and Dumb Employees – Implementation of the Order of the Apex Court – regarding.

In compliance of the Order dated 12th December, 2013 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 107/2011 (Deaf Employees Welfare Association & Another V/s Union of India & Others), it has been decided to extend the benefit of Transport Allowance, as admissible to blind and orthopaedically handicapped employees in terms of para-2 (i) of Board's letter No.PC-V/2008/A/TA/2, dated 12.09.2008 (RBE No.111/2008), to deaf and dumb Railway Employees also, with immediate effect, subject to the condition that the recommendation of the Head of ENT Department of a Railway or Government Civil Hospital is received by the Head of Department and fulfillment of other conditions mentioned in Railway Board's letter No. F(E)I-78/AL-7/5, dated 23.10.1978 read with Board's letter dated 12.09.2008.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2014/A/TA/1 **New Delhi, dated 19.03.2014**

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

D:\MANOJ\General Orders\Transport Allowance\Deaf and Dumb.docx

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र. सं. पीसी-VI/332 | आरबीई सं. 28/2014
सं. पीसी-V/2014/ए/टीए/1 | नई दिल्ली, दिनांक 19 .03.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों को यातायात भत्ता देना - मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दर से दुगुने दर पर यातायात भत्ता देने के बारे में शीर्षस्थ न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने के संबंध में।

रिट याचिका (सिविल) सं. 107/2011 (बधिर कर्मचारी कल्याण संगठन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 12.09.2008 के बोर्ड के पत्र सं. पीसी-V/2008/ए/टीए/2 (आरबीई सं. 111/2008) के पैरा-2 (i) के अनुसार नेत्रहीन एवं ऑर्थोपैडिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को यथा अनुमेय यातायात भत्ते का लाभ तत्काल प्रभाव से मूक एवं बधिर रेल कर्मचारियों को भी देने का विनिश्चय किया गया है बशर्ते कि विभागाध्यक्ष द्वारा रेलवे अथवा सरकारी सिविल अस्पताल के कान, नाक एवं गला विभाग के अध्यक्ष से सिफारिश प्राप्त हो और बोर्ड के दिनांक 12.09.2008 के पत्र के साथ पठित रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.10.1978 के पत्र सं. एफ(ई)I-78/एएल-7/5 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग - V
रेलवे बोर्ड